



GOVERNMENT OF INDIA

भारत सरकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Central Zoo Authority

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण



F. No. 13-1/2016-CZA

/987/2017

Dated 26.05.2017

To,

Sh. Santosh Golechha,
10, Himalaya Complex,
Supela Square,
Bhilai – 490 023
Chhattisgarh

Sub: Application seeking information under the provisions of Right to Information Act, 2005.

Ref : (i) Your letter dated 22.02.2017 & 31.03.2017 address to Hon'ble Minister, MoEF&CC
(ii) Your letter dated 22.02.2017 address to Member Secretary, CZA.
(iii) Your RTI letter dated 13.04.2017 received at this office on 26.04.2017.

Sir,

With reference to above cited applications, it is to inform that the Central Zoo Authority has requested to Chief Wildlife Warden, Chhattisgarh to provide the factual report to this office vide this office letter dated 09.03.2017 (copy enclosed). However, reply has not been received in this office so far.

In case you are not satisfied with this reply, you may file an appeal before the appellate authority, Member Secretary, Central Zoo Authority, B-1 Wing, 6th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003, within a period of one month.

Encl. As above.

Yours faithfully,


(R. S. Rawat)
PIO



GOVERNMENT OF INDIA

भारत सरकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Central Zoo Authority

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

मिसिल सं० 19-160/93 -सी.जेड.ए.(147)(खण्ड-2)/493/2017

दिनांक: 09.03.2017

सेवा में,

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, फफादीह,
रायपुर - 492 001 (छत्तीसगढ़)।

विषय :- नंदनवन चिड़ियाघर एवं जंगल सफारी, नया रायपुर से संबंधित शिकायत।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दो पत्र इस प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं।

पहला पत्र नंदनवन जू एवं सफारी, नया रायपुर में बैटरी से चलने वाले यात्री वाहन के अनियमित एवं अनुचित तरीके से निविदा खोलने के बारे में निदेशक, वोल्टमैक इंजीनियरिंग प्रा. लि. से प्राप्त हुआ है (प्रति संलग्न)। शिकायत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई करने हेतु आपको प्रेषित है।

दूसरे पत्र में चिड़ियाघर के नक्शे के अनुमोदन की प्रक्रिया की जानकारी के बारे में है। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया है कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा नंदनवन जंगल सफारी को चिड़ियाघर के संचालन की अनुमति जिस नक्शे के आधार पर प्रदान की गई है उसमें शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों की लगभग 76.45 एकड़ निजी भूमि शामिल है। जो निजी कृषि भूमि है। उक्त निजी भूमि को इको कम बायोडायवर्सिटी पार्क एवं फोडर प्रोडक्शन एरिया दर्शाते हुए इस प्राधिकरण के समक्ष चिड़ियाघर संचालन हेतु अनुमति आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जिसे प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 01.12.2016 को अनुमोदित किया गया। उक्त अनुमोदन पर शिकायतकर्ता ने कहा है कि नंदनवन जंगल सफारी का यह दर्शाना उसकी निजी भूमि के अधिकारों को प्रभावित कर रही है जो कि नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है (प्रति संलग्न)।

अतः आपसे से निवेदन है कि उक्त संबंध में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट इस कार्यालय को अतिशीघ्र भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

(डॉ. डी. एन. सिंह)

सदस्य सचिव

o/c
10/3/17